सराहनीय कार्य

NABBING THE NARCOS

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 17.07.2024

02 गांजा तस्करों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 12 किलो 600 ग्राम गांजा (अनुमानित कीमत 1,50,000/- रुपये), 04 फर्जी नम्बर प्लेट, 01 सूमो गोल्ड एम्बुलेन्स बिना नम्बर प्लेट (परिवहन में प्रयुक्त) को किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 16/17.07.2024 की रात्रि को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत राजा का बाग पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान बिना नम्बर प्लेट की एम्बुलेन्स आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो चालक द्वारा एम्बुलेन्स को मोड़कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके एम्बुलेन्स चालक सहित कुल 02 व्यक्तियों को **राजा का बाग चौकी के पास** से **समय करीब 02.20 बजे रात्रि** को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये एम्बुलेन्स की तलाशी ली गयी तो एम्बुलेन्स से 12 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यह गांजा हम लोग उड़ीसा से गाँजा खरीदकर आगरा एवं अन्य जनपदों में बेचकर धन लाभ अर्जित करते हैं।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 157/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)बीएनएस व धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विजय चौहान पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 28 वर्ष**।
2. प्रदीप कुमार पुत्र राम औतार निवासी ग्राम लुहन्ना थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 26 वर्ष**।

बरामदगी-

01. 12 किलो 600 ग्राम गांजा **(अनुमानित कीमत लगभग 1,50,000/- रुपये)**

02. 04 फर्जी नम्बर प्लेट।

03. 01 सूमो गोल्ड बिना नम्बर प्लेट **(एम्बुलेन्स परिवहन में प्रयुक्त)**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 157/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस एवं धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाइऩ जनपद इटावा

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त विजय चौहान पुत्र तेजवीर सिंह

1. मु0अ0सं0 267/23 धारा 420/465/471 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 138/24 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 157/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस एवं धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाइन्स जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- प्रथम टीमः- उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय टीमः- निरी0 श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 श्री ध्यानेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री राजेश कुमार मौर्य, उ0नि0 कपिल भारती, का0 आर्य चिकारा, का0 सुशील कुमार, का0 अमित खोखर।